राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1187 / 2020

भवंरलाल कुमावत –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवलाय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यम प्रथम, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.10.2020
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापक के पद पर हुई। अपीलार्थी दिनांक 9–8–2018 से पूर्व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साकरिया दोसर पंचायत समिति सहाडा में पदस्थापित था। जहाँ से अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 डी में चयन हो जाने के पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरू शहरी क्षेत्र ब्लॉक सुवाणा जिला भीलवाडा में कर दिया गया। उक्त आदेशों में स्पष्ट अंकित किया गया कि जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया। उनको शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाए इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पूर्व में 6 डी में चयन हो जाने पर ही शहरी क्षेत्र में पदस्थापन किया गया। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या दो के द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी को दुबारा 6 डी में चयन करते हुए आदेश क्रमांक 400 दिनांक 9–6–2019 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सेट अप परिवर्तन करते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरु ब्लाक सुवाणा शहरी क्षेत्र से राजकीय आदर्श सीनीयर सैकण्डरी स्कुल खमेरा पंचायत समिति रामपुर जिला भीलवाडा में 100 कि०मी० दूर कर दिया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने अपने सेट अप परिवर्तन के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में याचिका प्रस्तुत की जो कि 11029 / 2019 दर्ज की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा गैनाराम चौधरी बनाम सरकार के निर्णय से स्थगन आदेश जारी कर यथावत रखने के आदेशजारी कर दिया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने अपने सेट अप परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या दो को दिनांक 9–8–2018 के

आदेशों को अवगत कराया कि अपीलार्थी का पूर्व में 6 डी हो चुकी है दुबारा 6 डी नहीं की जा सकती परन्तु अप्रार्थी संख्या दो नहीं माने अपीलार्थी परिवेदना निस्तारण कर अपीलार्थी को खेमरा रामपुर से स्थान बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढा जहाजपुर में आदेश दिनांक 23/24–7–2019 के द्वारा कर दिया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को उक्त आदेशों की पालना में कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी वर्तमान में राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरिया सुकाणा भीलवाडा में पदस्थापित है। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम 1971 के प्रावधान पंचायती राज विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेट अप परिवर्तन उक्त नियमों के नियम 6 डी के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 महत्वपूर्ण है। जिसमें पंचायती राज विभाग के अधीन नियुक्त कार्यरत कार्मिकों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर अंतिरिक्त कर पदस्थापन व पदावन्त किया जाने का प्रावधान किया हुआ है स्पष्ट है कि पंचायत राज विभाग के आदेश नियुक्ति किसी भी शिक्षक का नियम 6 डी के अन्तर्गत सेट अप परिवर्तन एक बार ही किया जाना अपेक्षित है । शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित व प्रचलित प्रक्रिया अनुसार सेट अप परिवर्तन के पश्चात तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे। इस प्रकार अपीलार्थी की 6 डी की प्रक्रिया पहले से ही पूर्ण की जा चुकी है तो सेट अप परिवर्तन के जरिये समायोजन/ पदस्थापन किया जाता है तो उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस०बी० सिविल रिट याचिका नं0 8085/2019 गेनाराम चौधरी बनाम स्टेट आफ राजस्थान राज्य के निर्णय में किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित सेट अप परिवर्तन आदेश क्रमांक 400 दिनांक 9.6.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को पुनः प्रारम्भिक शिक्षा में भेजा जावे ।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों को नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है, अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष आदेश कमांक 400 दिनांक 00.06.2010 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है जबकि उक्त आदेश स्थानीय कार्यालय द्वारा पूर्ण में ही चिनांक 23.07.2019 को अपास्त कर दिया गया है। अतः अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी को पुनः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में भेजे जाने की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। वर्तमान में अपीलार्थी स्वयं की प्रार्थना पत्र अपने इच्छित स्थान पर माध्यमिक शिक्षा

विभाग में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की 6–डी दुबारा कर दी गई है जो कि माननीय अधिकरण को गुमराह करने हेतु उल्लेखित किया गया है। वस्तुतः अपीलार्थी का 6–सी में चयन दुबारा नही किया गया। उल्लेखित आदेश कमांकरू–400 दिनांक 09.06.2019 के द्वारा कार्मिक का वरिष्ठता के आधार पर समायोजन स्थानान्तरण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में किया गया है। इस आदेश में कही पर भी 6–डी में दुबारा चयन किया गया हो, उल्लेखित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं का पद स्थापन राउमावि रामपुरिया ब्लॉक सुवाणा जिला भिलवाड़ा में किया जाने का निवेदन किया गया, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपीलार्थी का पदस्थापन इच्छित स्थान राउमावि रामपुरिया सुवाणा में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया। इच्छित स्थान पर पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के पश्चात किसी प्रकार का विवाद करना न्यायहित में नहीं है। (अनुलग्नक–आर–1,2व3) प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में बड़ी संख्या में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा में संचालित विद्यालय कक्षा 1 से 10–12 तक संचालित होने के कारण बडी संख्या में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद सृजित हो गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों पर नवीन भर्ती से भरने का कोई प्रावधान वर्तमान में नियमों में नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्यापक–II के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रा. शि. में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो पंचायतीराज के अधीन नियुक्त हैं एवं 6 डी की कार्यवाही हो चुके है अथवा पूर्व से ही राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 के अधीन नियुक्त है तथा ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में पदस्थापित हैं, का जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरिष्ठता अनुसार / नियुक्ति के आधार पर संबंधित लेवल / विषय में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया जाकर माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को भरा जाता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 6डी सैटअप परिवर्तन से संबंधित सिविल याचिका संख्याः 8224 / 2017 श्री जगदीश चन्द्र सैन व अन्य की याचिकाओं के निर्णय दिनांकः 15–01–18 में विभिन्न याचिकाओं में लिये गये विभिन्न आधारों को मैरिट के आधार पर खारिज करते हुए विभाग द्वारा की गई सैटअप परिवर्तन की कार्यवाही को उचित माना है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकार्थियों की विभिन्न प्रकार की परिवेदनाओं के लिए विभाग के समक्ष ही निवेदन करने का मत व्यक्त किया है। शहरी क्षेत्र में स्थित प्रावि / उप्रावि प्रार० शिक्षा के अधीन संचालित किये जाते है। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एंव दुरुस्त बनाने हेतु समय समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाएँ कही पर लेने हेतु छात्र हित में स्वतन्त्र हैं। अतः विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश वैद्य एंव सही तथा विधि सम्मत व न्यायोचित हैं।

प्रत्येक लोकसेवक का प्रथम दायित्व है कि वह अपनी राजकीय सेवाएँ उत्कृष्ट रूप से दे। सेवाएँ सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। इस प्रकार कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से नियोजक का क्षेत्राधिकारी है वह अपने लोकसेवक का कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरण करता है। सक्षम अधिकारी अपीलार्थी का नियोजक है और प्रशासनिक कारणों से किया गया स्थानान्तरण या पदस्थापन उनके क्षेत्राधिकार में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय शिल्पी बोस बनाम स्टेट ऑफ विहार में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि स्थानान्तरण के मामलों में सामान्यतया न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । उस स्थिति में ही प्रकरण हस्तक्षेप योग्य बनता है। जबकि जारी किया गया आदेश दुर्भावनापूर्ण मनमाना और बाध्यकारी नियम के उल्लंघन में जारी किया गया हो। इसलिए इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं पायी गई जो कि नियमानुसार विधि सम्मत है। आर एस आर के नियम–20 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी का पदस्थापन /स्थानान्तरण प्रशासनिक एंव जनहित कारणों से किया जा सकता है। इसलिए अपीलार्थी को इच्छित स्थान में पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है। एक लोकसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है किवह अपने लोकसेवक को कब और कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरित करता है और उसकी जगह किसको लगाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय पंजाब राज्य व अन्य बनाम जोगिन्दर सिह दत्त के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3.11.226 में लोकसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है, कि वह अपने लोकसेवक को कब और कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरित करता है और उसकी जगह किसको लगाता है । अपीलार्थी ने आदेश कमांक–400 दिनांक 09.06.2019 द्वारा माननीय अधिकरण को राजकीय आदर्श सीनियर सैकण्डरी स्कूल खमेरा पंचायत समिति रामपुर, जिला–भिलवाड़ा में पदस्थापन का आदेश देना बताया है, जो असत्य है। इस नाम का कोई विद्यालय भीलवाडा जिले में नहीं है। वस्तुतः अपीलार्थी का 6–डी में चयन दुबारा नहीं किया गया। उल्लेखित आदेश क्रमांक 400 दिनांक 09.06.2019 द्वारा अपीलार्थी विभाग में वरिष्ठतम होने से समायोजन स्थानान्तरण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में रा०उ०मा०वि०–खेमाणा (रायपुर) में पदस्थापित किया गया है। इस आदेश में कही पर भी 6–डी में दुबारा चयन किया गया हो उल्लेखित नहीं है। उक्त आदेश क्रमांक–400, दिनांक 09.06. 2019 को माननीय न्यायालय की याचिका संख्या 11029/2019 के निर्णय दिनांक 28.06.2019 के कम में स्थानीय कार्यालय के आदेश कमांक 631, दिनांक 23.07.2019 द्वारा अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया। अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण स्थानीय कार्यालय के आध्यात्मक आदेश कमांक 583, दिनांक 15.07.2019 द्वारा किया गया। इस उपरान्त उक्त आदेश कमांक–400, दिनांक 09.06.2019 को माननीय न्यायालय की याचिका

संख्या–11029 / 2019 के निर्णय दिनांक 28.06.2019 के कम में स्थानीय कार्यालय के आदेश कमांक 631, दिनांक 23.07.2019 द्वारा अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया। दिनांक 23.07.2019 को नवीन आदेश क्रमांक 645 से अपीलार्थी का पदस्थापन स्थानान्तरण राज्य हित में राउमावि गुढ़ा (जहाजपुर) किया गया। उक्त आदेश में दुबारा 6–डी किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस उपरान्त अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक परिस्थितिया बताते हुये स्थानीय कार्यालय में अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान को बदलने का लिखित में प्रार्थना पत्र दिया जिसे स्थानीय अधिकारी ने सहानुभूति एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये अपीलार्थी के इच्छित स्थान राउमावि रामपुरिया (सुवाणा) में परिवर्तित कर दिया एवं अपीलार्थी ने उक्त इच्छित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया। उक्त अपीलार्थी के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबीसी याचिका 8085 / 2019 गैनाराम चौधरी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय के सम्बन्ध में प्रकरण का निस्तारण करते हुये पूर्व में ही आख्यात्मक आदेश के माध्यम से परिवेदना का निस्तारण किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.09.2019 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थिति के दृष्टिगत आलौच्य आदेश संशोधित कर अपीलार्थी के इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरिया सुवाणा में पदस्थापित कर दिया गया है और अपीलार्थी ने उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। इस प्रकार वर्तमान में आलौच्य आदेश अस्तित्व / प्रभाव में नहीं रहा है। आदेश दिनांक 09.06.2019 के बाद आदेश दिनांक 24.10.2019 (अनुलग्नक–आर–3) द्वारा अपीलार्थी का उसके इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण किया जा चुका है। जहां वर्तमान में कार्यरत है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य